



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 2010/वैशाख 21, 1932

No. 246]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2010/VAISAKHA 21, 1932

कार्यिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(1)

(2)

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2010

सा.का.नि. 396(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "पंजाब" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पंजाब

राज्य सरकार के अधीन चरिष्ठ इप्टी पद 120

(1)

(2)

सरकार के मुख्य सचिव 1

वित्त आयुक्त (विकास) 1

वित्त आयुक्त (राजस्व) 1

वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव 11

वित्त आयुक्त (अपीलें-1) 1

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग 1

प्रभागायुक्त 4

आबकारी और करगणन आयुक्त 1

रज्यपाल के सचिव 1

सरकार के सचिव 22

मुख्यमंत्री के सचिव 1

आयुक्त, रज्य परिवहन 1

निदेशक, महात्मा गांधी लोक प्रशासन रज्य संस्थान 1

सहकारी समितियों के पंजीयक 1

आयुक्त, खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता मामले 1

सचिव, संस्थागत वित्त और बैंकिंग तथा लोक उद्यम व्यूरो- 1

सह-सरकार के सचिव 1

स्थानिक आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली 1

आयुक्त, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण 1

आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य 1

सरकार के विशेष/अपर/संयुक्त सचिव 17

निदेशक, सूचना और लोक सम्पर्क 1

रज्य परिवहन निदेशक 1

उद्योग और वाणिज्य निदेशक 1

ग्रामीण विकास और पंचायत निदेशक 1

धूमि अभिलेख और बन्दोबस्त तथा चकबंदी और धूमि 1

अधिग्रहण निदेशक 1

निदेशक, स्थानीय सरकार 1

(1)	(2)	क्र. सं.	सं. सा.का.नि.	दिनांक
श्रम आयुक्त	1	7.	1637	21-11-1964
रोजगार निदेशक	1	8.	59	8-1-1966
एससीबीसी के कल्याण निदेशक	1	9.	1364	10-9-1966
निदेशक, महिला और बाल विकास	1	10.	261	4-3-1967
निदेशक, सूचना और प्रौद्योगिकी	1	11.	385	25-3-1967
निदेशक, विद्यालय शिक्षा	1	12.	227	22-2-1975
उद्योग अपर निदेशक	1	13.	416(अ)	22-6-1976
सरकारी समितियों के अपर निदेशक	1	14.	155	5-2-1977
निदेशक, आबकारी और करधान	1	15.	1371	17-11-1979
निदेशक, शिकायत और पेंशन	1	16.	202	23-2-1980
उपायुक्त	20	17.	808	5-9-1981
अपर उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, समेकित ग्रामीण विकास/	13	18.	203	12-3-1983
मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अपर उपायुक्त विकास		19.	249	9-3-1985
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	20.	901	5-12-1987
1. कुल वरिष्ठ इयूटी पद	120	21.	1043(अ)	6-12-1989
2. सी. डी. आर. उपर्युक्त मर. 1 का 40% से अधिक नहीं	48	22.	223	16-5-1992
3. एस. डी. आर. उपर्युक्त मर. 1 का 25 % से अधिक नहीं	30	23.	404	12-9-1992
4. टी. आर. उपर्युक्त मर. 1 का 3.5% से अधिक नहीं	04	24.	319(अ)	31-3-1995
5. एल. आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मर. 1 का 16.5% से अधिक नहीं	19	25.	739(अ)	31-12-1997
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमवली, 1954 के नियम 8 के अधीन पर्यवेत्ति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मर. 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	67	26.	188(अ)	24-3-2009
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मर्ने 1+2+3+4+5+6)	154			
<b>कुल प्राधिकृत संख्या</b>	<b>221</b>			

[फा. सं. 11031/11/2009-अ.भा.से-11 क]

हरीश चंद्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, पंजाब संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 193 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का.नि.आ. 3350, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक संवर्ग पंजाब संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था :—

क्र. सं.	सं. सा.का.नि.	दिनांक
1.	1251	29-10-1960
2.	1417	3-12-1960
3.	78	21-1-1961
4.	629	5-5-1962
5.	926	14-7-1962
6.	279	16-2-1963

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC  
GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2010

**G.S.R. 396(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955,

under the heading "Punjab" for the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely :—

**PUNJAB**

Senior Duty Posts under the State Government		120
(1)	(2)	
Chief Secretary to Government	1	
Financial Commissioner (Development)	1	
Financial Commissioner (Revenue)	1	
Financial Commissioner/Principal Secretary	11	
Financial Commissioner (Appeals-1)	1	
Chief Electoral Officer and Principal Secretary, Deptt. of Elections	1	
Commissioner of Divisions	4	
Excise and Taxation Commissioner	1	
Secretary to Governor	1	
Secretary to Government	22	
Secretary to CM	1	
Commissioner, State Transport	1	
Director, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration	1	
Registrar of Cooperative Societies	1	
Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs	1	
Secretary, Institutional Finance and Banking and Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Government	1	
Resident Commissioner, Government of Punjab, New Delhi	1	
Commissioner for Technical Education and Industrial Training	1	
Commissioner, Industries and Commerce	1	
Special/Addl./Joint Secretary to the Government	17	
Director, Information and Public Relation	1	
Director of State Transport	1	
Director of Industries and Commerce	1	
Director of Rural Development and Panchayat	1	
Director of Land Records and Settlement and Consolidation and Land Acquisition	1	
Director of Local Government	1	
Labour Commissioner	1	
Director of Employment	1	
Director, Welfare of SC BC	1	
Director, Development of Women and Children	1	
Director, Information and Technology	1	
Director, School Education	1	
Additional Director of Industries	1	
Additional Registrar of Co-op Societies	1	
Director, Excise and Taxation	1	
Director, Grievances and Pensions	1	
Deputy Commissioners	20	
Additional Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner, Integrated Rural Development/Chief Executive Officer or Addl. Deputy Commissioner Development	13	
Additional Chief Electoral Officer	1	

1. Total Senior Duty Posts	120
(1)	(2)
2. CDR not exceeding 40% of item 1 above	48
3. SDR not exceeding 25% of Item 1 above	30
4. TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	04
5. LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	19
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above	67
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	154
<b>Total Authorized Strength</b>	<b>221</b>

[F. No. 11031/11/2009-AIS-II-A]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Punjab IAS Cadre was 193.

Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. SRO 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Punjab Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates :—

Sl. No.	No. G.S.R.	Date
(1)	(2)	(3)
1.	1251	29-10-1960
2.	1417	3-12-1960
3.	78	21-1-1961
4.	629	5-5-1962
5.	926	14-7-1962
6.	279	16-2-1963
7.	1637	21-11-1964
8.	99	8-1-1966
9.	1364	10-9-1966
10.	261	4-3-1967
11.	385	25-3-1967
12.	227	22-2-1975
13.	416(E)	22-6-1976
14.	155	5-2-1977
15.	1371	17-11-1979
16.	202	23-2-1980
17.	808	5-9-1981
18.	203	12-3-1983
19.	249	9-3-1985
20.	901	5-12-1987
21.	1043(E)	6-12-1989
22.	223	16-5-1992
23.	404	12-9-1992
24.	319(E)	31-3-1995
25.	739(E)	31-12-1997
26.	188(E)	24-3-2009

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2010

सा.का.नि. 397(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन), पाँचवाँ संशोधन नियमावली, 2010 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 :—

(क) तालिका में "अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों" में, प्रथम कॉलम में "पंजाब" प्रविष्टि नीचे आने वाली प्रविष्टियों और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

## पंजाब

सरकार के मुख्य सचिव	रुपए 80000 (नियत)
वित्त आयुक्त (विकास)	रुपए 80000 (नियत)
वित्त आयुक्त (राजस्व)	रुपए 80000 (नियत)
वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
वित्त आयुक्त (अपील-1)	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
प्रभगायुक्त	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आबकारी और कराधान आयुक्त	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
रज्यपाल के सचिव	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
सरकार के सचिव	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
मुख्यमंत्री के सचिव	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त, राज्य परिवहन	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
निदेशक, महारत्न गांधी लोक प्रशासन राज्य संस्थान	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
सहकारी समितियों के पंजीयक	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
अध्युक्त, खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
सचिव, संस्थान वित्त और बैंकिंग तथा लोक उद्यम ग्रुप-सह-सरकार के सचिव	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000

स्थानिक आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000

(ख) "अनुसूची-II भाग" में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में "पंजाब" शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सरकार के विशेष/अपर/संयुक्त सचिव

निदेशक, सूचना और लोक सम्पर्क

रज्य परिवहन निदेशक

उद्योग और वाणिज्य निदेशक

ग्रामीण विकास और पंचायत निदेशक

भूमि अधिलेख और बन्दोबस्त तथा चकाबंदी और भूमि अधिग्रहण निदेशक

निदेशक, स्थानीय सरकार

श्रम आयुक्त

रोजगार निदेशक

एससी बीसी के कल्याण निदेशक

निदेशक, महिला और बाल विकास

निदेशक, सूचना और प्रौद्योगिकी

निदेशक, विद्यालय शिक्षा

उद्योग अपर निदेशक

सरकारी समितियों के अपर निदेशक

निदेशक, आबकारी और कराधान

निदेशक, शिकायत और फेशन

उपायुक्त

अपर उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, समेकित ग्रामीण विकास/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अपर उपायुक्त विकास

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

[फा. सं. 11031/11/2009-अ.भा.से.-II-ख]

हरीश चंद्र राम, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : दिनांक 19-9-2008 की सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 15-4-2009 की 123(अ), दिनांक 21-7-2009 की सं. सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 13-8-2009 की सं. सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 12-11-2009 की सं. सा.का.नि. 820, दिनांक 10-2-2010 की सं. सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 25-2-2010 की सं. सा.का.नि. 102(अ), दिनांक 12-3-2010 की सं. सा.का.नि. 191(अ) और दिनांक 8-4-2010 की सं. सा.का.नि. 298(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2010

**G.S.R. 397(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In "Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the Table, for the entry 'Punjab' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

## PUNJAB

Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (Fixed)
Financial Commissioner (Development)	Rs. 80000 (Fixed)
Financial Commissioner (Revenue)	Rs. 80000 (Fixed)
Financial Commissioner/Principal Secretary	HAG Scale— 67000—(annual increment @ 3%) 79000
Financial Commissioner (Appeals-1)	HAG Scale 67000—(annual increment @ 3%) 79000
Chief Electoral Officer and Principal Secretary, Deptt. of Elections	HAG Scale— 67000—(annual increment @ 3%) 79000
Commissioner of Divisions	PB-4 + GP Rs. 10000
Excise and Taxation Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to Government	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to CM	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, State Transport	PB-4 + GP Rs. 10000
Director, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration	PB-4 + GP Rs. 10000
Registrar of Cooperative Societies	PB-4 + GP Rs. 10000

Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary, Institutional Finance and Banking and Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Govt.	PB-4 + GP Rs. 10000
Resident Commissioner, Govt. of Punjab, New Delhi	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner for Technical Education and Industrial Training	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Industries and Commerce	PB-4 + GP Rs. 10000

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Punjab', the following shall be substituted, namely:—

Special/Addl./Joint Secretary to the Govt.
Director, Information and Public Relation
Director of State Transport
Director of Industries and Commerce
Director of Rural Development and Panchayat
Director of Land Records and Settlement and Consolidation and Land Acquisition
Director of Local Government
Labour Commissioner
Director of Employment
Director, Welfare of SC BC
Director, Development of Women and Children
Director, Information and Technology
Director, School Education
Additional Director of Industries
Additional Registrar of Co-op Societies
Director, Excise and Taxation
Director, Grievances and Pensions
Deputy Commissioners
Additional Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner,
Integrated Rural Development/Chief Executive Officer or Addl. Deputy Commissioner Development
Additional Chief Electoral Officer.

[F. No. 11031/11/2009-AIS-II-B]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note : The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide No. G.S.R. 213(E), dated the 20-3-2008 and subsequently were amended vide No. G.S.R. 665(E), dated 19-9-2008, 123(E), dated 15-4-2009, No. G.S.R. 542(E), dated 21-7-2009, No. G.S.R. 572(E) dated 13-8-2009, No. G.S.R. 820, dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72(E), dated 10-2-2010, No. G.S.R. 102(E), dated 25-2-2010, No. G.S.R. 191(E) dated 12-3-2010 and No. G.S.R. 298(E) dated 8-4-2010.